

कार्यालय:- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रजलामई फर्रुखाबाद ।
पत्रांक:- डायट/ वि०बी०टी०सी० ०८/ / २०११-१२ दिनांक:-

विज्ञप्ति / सूचना

विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षण २००८ (विशेष चयन) के सन्दर्भ में निर्गत शासनादेश संख्या १९६९/१५-११-२०११ दिनांक ०४.१०.११ एवं शुद्धिपत्र संख्या २२६१/१५-११-२०११ दिनांक २१.१०.११ के अनुपालन में जनपद फर्रुखाबाद हेतु अनुसूचित जाति पुरुष कला वर्ग के इच्छुक अभ्यर्थी जिन्होंने डायट पर आवेदन किया था वे अपने समस्त मूल शैक्षिक अंक पत्र व प्रमाण पत्र (बी०एड० उत्तीर्ण वर्ष में संस्था को एन०सी०टी०ई० प्रदत्त मान्यता का प्रमाण पत्र सहित) जाति आरक्षण ,विशेष आरक्षण तथा उनकी दो सेट स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटोग्राफ, दो फाइल कवर व टैग के साथ निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार प्रातः १० बजे संस्थान में उपस्थित हो । सूची को अभ्यर्थी वेबसाइट www.farrukhabad.nic.in पर क्लिक कर अपना नाम देख सकते हैं अभ्यर्थियों को कोई पृथक से सूचना नहीं दी जायेगी

अनुसूचित जाति पुरुष कला वर्ग	२७.११.११ से ०७.१२.११ तक
------------------------------	-------------------------

कट ऑफ मैरिट का विवरण

वर्ग	शिक्षा मित्र से भिन्न
	अनुसूचित जाति पुरुष
कला वर्ग	२११.००

नोट:- जारी की गई जाँच सूची किसी भी रूप में चयन सूची नहीं है। यह मात्र मूल प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची है। तथा इसमें सम्मिलित अभ्यर्थियों का विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षण (विशेष चयन) २००८ में चयन हेतु स्वतः कोई दावा नहीं होगा यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि में संस्थान में उपस्थित नहीं होते हैं तो भविष्य में उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नहीं किया जायेगा तथा भविष्य में उनके किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा। और इसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा उनका अभ्यर्थन निरस्त करते हुए वरीयता क्रम में अगले अर्ह अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार किया जायेगा। जारी की गयी जाँच सूची माननीय उच्च न्यायालय/माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं लिपिकीय त्रुटि के संधान के आधीन होगी।

(सुमित्रा देवी गर्ग)
प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
रजलामई फर्रुखाबाद ।